न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

राजस्व अपील: 30/2016

दायर दिनांक: 29.12.2016

निर्णय दिनांक 14.02.2019

—:अनवान:—

श्री रुपसिंह पिता श्री बख्तावर सिंह जी जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी सोलंकियों की भागल लाल मादड़ी, तहसीलल नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।

————अपीलांट

—:बनाम:—

राजस्थान राज्य, जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

———रेस्पोडेण्टगण

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द प्रकरण संख्या 01/2016 सरकार बनाम रुपसिंह आदेश दिनांक 24.10.2016 से व्यथित होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

उपस्थित वक्त बहस:—

1— श्री श्याम सुन्दर पालीवाल, अधिवक्ता अपीलांट

2— श्री कैलाश बोल्या राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—::निर्णय::—

अपीलार्थी ने तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा दिनांक 24.10.2016 को पारित आदेश से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 29.12.2016 को दफा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का लाल मादड़ी के द्वारा तहसीलदार नाथद्वारा के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई कि ग्राम लाल मादड़ी तहसील नाथद्वारा स्थित आराजी नम्बर 2146 रकबा 0.13 बीघा किस्म बारानी I खातेदारी भूमि की होकर खातेदार श्री मगनीराम पिता एकलींग सुथार 1/4, श्री हरिसिंह,भारतसिंह,मानसिंह,हीरसिंह,रुपसिंह,प्रतापसिंह,भूरसिंह,सोहन कुवंर,भवंरकुवंर पिता वक्तावरसिंह, मु0घापूकुवंर बेवा वक्तावरसिंह 1/4,श्री पुष्पाकुवंर धर्मपत्नि मानसिंह बारहठ,श्रीमति उषाकुवंर धर्मपत्नि बलवीरसिंह बारहठ 1/2 अंकित होकर मौके पर आराजी के उत्तस पश्चिम कोने पर 8X8 फीट क्षेत्रफल पर एक दुकान निर्माण कार्य पाया गया जो श्री रुपसिंह पिता वक्तावरसिंह द्वारा कराना जाहीर आया हैं एवं उक्त भूमि संपरिवर्तित नहीं होकर सह खातेदारी भूमि हैं जिससे मौके पर कृषि भूमि पर गैर कृषि निर्माण कार्य रुकवाया गया। उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर बाद

जांच नियमानुसार कार्यवाही करते हुए दिनांक 24.10.2016 को अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त निर्माण को हटाया जाने आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश को पारित करने मे विधि संबंधी एवं तथ्यात्मक संबंधी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय पारित कर दिया गया। जो कि विधिक भूल है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके का सही सर्वे सीमांकन व जांच नहीं की गयी है। अपीलार्थी द्वारा कोई अवैध निर्माण नहीं किया है। यही प्रस्तुत अपील का मुख्य कारण है।

दोनो पक्षों की बहस सुनी गयी। सर्व प्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मे शुमार किया जाता है।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए बहस में बताया कि अपीलार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम लालमादडी तहसील नाथद्वारा के आ0नं0 2146 रकबा 00.13 बीघा व ग्राम राबचा तहसील नाथद्वारा के आ0नं0 1541/808 रकबा 00.07 बीघा स्थित है। सरपंच ने अपीलार्थी को परेशान करने की नियत से अपीलार्थी के विरूद्ध एक शिकायत की थी जिस पर यह कार्यवाही अपीलार्थी के विरूद्ध की गयी है। अपीलार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से राजकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। विवादग्रस्त कमरा जो बना हुआ है वह सरकारी भूमि पर नहीं होकर अपीलार्थी की खातेदारी भूमि मे है। इस मामले में केवल मात्र सीमाकंन का विवाद है। अपीलार्थी का कोई वाणिज्यिक निर्माण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी केवल यह आरोपित किया है कि बिना कन्वर्ट करके कमरा बना लिया सिर्फ अपीलार्थी पर आरोप बिना कन्वर्ट करके एक कमरा बनाने का है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस मामले में केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय पारित किया है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट को न तो प्रदर्श कराया गया और न ही बयान लिये गये। अपीलार्थी को भी साक्ष्य सबूत व सुनवाई हेतु कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया । इस मामले में सही एवं सटीक नपती भू–प्रबंध विभाग की सर्वे टीम से ही हो सकती है। जो भी नहीं करवाई गयी। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जल्दबाजी में यह निर्णय पारित किया गया जो विधिनुकूल नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त करवाया जाना फरमावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व ग्राम लालमादडी तहसील नाथद्वारा के आराजी नं0 2146 रकबा 00.13 बीघा किस्म बारानी प्रथम होकर राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थी के नाम पर सहखातेदारी की दर्ज हैं जिस पर अपीलार्थी द्वारा हिस्सा विशेष पर कराये जा रहे निर्माण के संबंध में सहखातेदार श्रीमती उषाकुंवर पत्नी बलबीरसिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस पर पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर उक्त प्रकरण दर्ज किया गया तथा प्रकरण के विचारण के दौरान भी राजस्व निरीक्षक से मौका रिपोर्ट अन्य पटवारियों की टीम गठित कर प्राप्त की गयी. जिसमें भी मौके पर निर्माण कार्य होना पाया गया, इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए निर्माण को हटाये जाने का आदेश दिनांकः 24.10.2016 को पारित किया

गया हैं। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह रहा हैं कि वह अपने हिस्से की भूमि पर ही निर्माण करवा रहा था जो कि अवैध निर्माण नहीं हैं और उसे अपनी साक्ष्य पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया हैं तथा जवाब के बाद ही प्रकरण को हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णित कर दिया गया हैं। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को अपनी साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान नहीं करना पाया गया हैं। साथ ही उक्त प्रकरण में परिवाद प्रस्तुतकर्ता को भी अपना पक्ष रखनें का अवसर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया जो कि इस भूमि की सहखातेदार हैं, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई समुचित अवसर पक्षकारान को प्रदान नहीं किया हैं। अतः उक्त परिस्थिति में मैं अपीलार्थी की उक्त अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर प्रकरण में उभयपक्षकारान को साक्ष्य,सबूत व सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण करवाया जाना उचित समझता हूँ।

—::आदेश::—

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार,नाथद्वारा द्वारा पारित निर्णय दिनांकः 24.10.2016 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार,नाथद्वारा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि उभयपक्षकारान को साक्ष्य,सबूत व सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 14.02.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया है।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द